


पु.सं. 14/2023 सम्पत v/s काना

11.03.24

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी जी. ~~गणेश~~ कायराज मेघात हैं। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 9/10/24 को पेश हो।


रीडर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा


प्रकरण संख्या 14/2023 आ.सि.

अनुदान सम्पत। काना

~~प्राथमिक जिला कलक्टर भीलवाड़ा~~


9.10.24

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी जी. ~~गणेश~~ कायराज मेघात हैं। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 27.11.24 को पेश हो।


रीडर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा


27.11.24

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी जी. R.O. काना हैं। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 25.2.25 को पेश हो।


रीडर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा


25/2/25

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी जी. ~~काना~~ पर पट्टार हैं। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 12.3.25 को पेश हो।


रीडर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

12.03.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील फरिकेन उपस्थित विपक्षी सं. 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत आ.पत्र अन्तर्गत धारा 10 CPC ^{संलग्न धारा 151 CPC} दिनांक 16.10.2023 पर बहस फरिकेन सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा पूर्व में विचाराधीन आक्टन निरस्तीकरण पु.सं. 07/2017 का आवलोकन किया गया। विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 10 उक्त प्रकरण में फीत नहीं है किन्तु अन्तर्गत धारा 151 CPC के ~~अंतर्गत~~ तहत Inherent Power under Section 151 CPC to consolidate suit for the ends of Justice, preventing multiplicity of proceedings and conflicting judgments. उक्त अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथम सम्पत माली वर्ग की ओर से प्रस्तुत मौखिक प्रकरण को इस न्याया में पूर्व विचाराधीन पु.सं. 07/2017 आक्टन निरस्तीकरण श्यामलाल v/s सायरी वर्ग के साथ कन्सोल्डेट किया जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है।


जसवीर सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा